श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, दीवानी न्यायाधीश (वरीय कोटि) प्रथम, रांची

Schelule XLII – High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with dat
1	2	3	4
		विविध दीवानी आवेदन संख्या I–948 / 2022 **(व्युत्पन्न निष्पादन वाद संख्या 126 / 2019)** **एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड ———— डिक्रीधारक** **बनाम** **अनुज कुमार सोनी ———— निर्णीत ऋणी**	
	02.01.2022	आवेदक / डिक्रीधारक की ओर से पैरवी की गयी आवेदक / डिक्रीधारक की ओर से पैरवी की गयी तथा पंचाट की सत्यापित प्रतिलिप एवं प्रक्रिया शुल्क 25 / रुपये संस्थित किया गया। अभिलेख आज डिक्रीधार की ओर से संस्थित संशोधन दिनांकित 03.12.2022 अंतर्गत ओदश XXI, नियम–17 सपठित धारा–151 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 पर आवेदक को सुने जाने के पश्चात् आज आदेश पारित किया जाता है। डिक्रीधारक / आवेदक द्वारा आवेदन दिनांकित 03.12.2022 अंतर्गत आदेश XXI, नियम–17 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में डिक्रीधारक का कथन है कि उक्त आवेदन पॉवर ऑफ एटार्नी डिक्रीधारक सौरव सिंह द्वारा संस्थित किया गया है, परन्तु उनके स्थानांतरण के पश्चात् श्री अजीत कुमार ओझा को पॉवर ऑफ एटार्नी बैंक द्वारा दिया गया है। डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणी के विरुद्ध माध्यस्थम् पंचाट के निष्पादन हेतु लाया गया है। सिरिस्तेदार द्वारा कार्यालय टिप्पणी में त्रुटि के रूप में यह दर्शाया गया है कि निष्पादन आवेदन में निर्णीत ऋणी के पिता का नाम छूट गया, जिसे उक्त संशोधन आवेदन द्वारा जोड़ने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रस्तावित संशोधन निर्णीत के पिता का नाम श्री मदन प्रसाद स्वर्णिका अंकित किया जाय। उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा उक्त संशोधन से वाद के प्रकृति पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त आवेदन न्याय हित में सद्भाविक है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि सिरिस्तेदार द्वारा दिनांक 06.08.2019 को कार्यालय टिप्पणी में त्रुटि के रूप में यह दर्शाया गया है कि निष्पादन आवेदन में निर्णीत ऋणी के पिता एवं निर्णीत का नाम छूट गया, जिसके आलोक में उक्त संशोधन आवेदन संस्थित किया	

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा, दीवानी न्यायाधीश (वरीय कोटि) प्रथम, रांची

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with dat
	लगातार 02.01.2023	गया है, जिसमें निर्णीत के पिता का नाम मदन प्रसाद स्वर्णिका निष्पादन आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं। उक्त वाद में प्रारंभिक स्तर पर है। वाद सरिस्तेदार के त्रुटि के निराकरण हेतु लम्बित है। उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे निष्पादन वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा उक्त संशोधन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः न्याय हित में डिक्रीधारक का उक्त आवेदन दिनांकित 03.12.2022 अंतर्गत ओदश XXI, नियम–17 दीवानी प्रक्रिया संहिता को स्वीकृत किया जाता है। डिक्रीधारक आवेदन के अनुसार निष्पादन आवेदन में निर्धारित समय सीमा के अंदर उक्त संशोधन करें। तत्पश्चात् पुनः सरिस्तेदार के प्रतिवदेन के साथ प्रस्तुत करें। वाद दिनांक 16.01.2023 को वास्ते प्रविष्टि के बिन्दु के सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जाय। (लेखापित) ह0/– (कृष्ण कान्त मिश्र) दीवानी न्यायाधीश (वरीय कोटि) प्रथम, रांची। जे0 ओ0 कोड संख्या–00576	